



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.**

**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1669 का नवीकरण /**

**Amendment-cum-Renewal of Type Approval No. 1669**

**विषय/Sub: रबड़ सील, पार्ट सं. एस ई 45जेड/एच, (चेतक हेलिकॉप्टर में उपयोग हेतु) /**

**Rubber Seal, Part Number: SE 45Z/H, (for use in Chetak Helicopter)**

यह घोषित किया जाता है कि चेतक वायुयान के लिए , फाउंड्री एंड फोर्ज प्रभाग, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विमानपुरा पोस्ट, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रबड़ सील" पार्ट सं. एस ई 45जेड/एच को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1669, दिनांक 11 अगस्त 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1669 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक है।

*This is to state that the "Rubber Seal", bearing Part Number SE 45Z/H for used in Chetak Helicopter, developed and manufactured by Foundry & Forge Division, M/s Hindustan Aeronautics Limited, Vimanapura Post, Bengaluru – 560 017, was issued with Type Approval No.: 1669 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1669, dated: 11<sup>th</sup> August 2011, with its validity up to 30<sup>th</sup> June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> July 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1669, दिनांक 11 अगस्त 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para Five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1669, Dated: 11<sup>th</sup> August 2011 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].”*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1669/1R  
दिनांक / Date: 23 December 2016  
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)